(2)

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खोरीमहुआ (गिरिडीह)

वाद सं० 56/2017

रामचरित्र यादव - बनाम - ब्रहमदेव यादव वगैरह

धारा 144 दं० प्र० सं० के तहत

आदेश फलक

18.7.17

अभिलेख उपस्थापित। सुनवायी के क्रम में प्रश्नगत विवादित भूमि तिसरी थाना के अन्तर्गत मौजा- गुमगी खाता नं० 17 प्लॉट नं० 777 रकबा 0.03 डी० चौहद्दी:- उ० - पक्की सड़क, द० - नीज पु० - नीज, जगदेव लाल साव, प० - नीज जमीन। उक्त मामले के संदर्भ में दोनो पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि पर दोनो पक्ष दावा करते है। परन्तु अंचल अधिकारी तिसरी के पत्रांक 312 दिनांक 27-06-17 के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर द्वितीय पक्षों का दखल कब्जा है। प्रथम पक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप बेबुनियाद है।

प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि दखल के बारे में कोई प्रमाण, तथ्य प्रस्तुत नही कर सके। इसलिए इस वाद में निषेधाज्ञा लगाने का कोई मतलब नही है।

अभिलेख की कार्यवायी समाप्त की जाती है।

लेखापित

अनु० दण्डा०

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
खोरीमहुआ।

Scanned with CamScanner